(64)

## प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-लाखनमण्डी
तहसील हल्द्वानी, जिला–नैनीताल,

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.46 हे0 आरक्षित वन भूमि, .00 हे0 सिविल सोयम भूमि .00 हे0, वन पंचायत भूमि .00 हे0) अर्थात कुल 0.46 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लाखनमण्डी द्वारा दिनांक 18-9-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लाखनमण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

(छत्रपति बेलवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
वि0ख0 हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 18-9-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत –लाखनमण्डी

| कमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| (1) | बलवन्त सिंह दशौनी | Balwant [illegible] |
| (2) | तारा लमगड़िया | [illegible] |
| (3) | सुरेश शर्मा | [illegible] |
| (4) | देवेन्द्र बिनवाल | [illegible] |
| (5) | महेश घोसाली | [illegible] |
| (6) | विजय वर्मा | [illegible] |
| (7) | कैलाश मेहरा | [illegible] |
| (8) | देवेन्द्र कार्की | [illegible] |
| (9) | कमलेश बजेठा | Kamlesh |
| (10) | पीयूष थुवाल | [illegible] |
| (11) | प्रेम कुमार | [illegible] |
| (12) | इन्द्र कुमार जोगी | [illegible] |
| (13) | विक्रम बिष्ट | Singh |
| (14) | दिनेश जोशी | Dinesh Joshi |
| (15) | दीपक चन्द्र आर्या ([illegible]) | [illegible] |
| (16) | प्रकाश चन्द्र पाण्डे | Parkash P |
| (17) | कैलाश चन्द्र जोशी | [illegible] |
| (18) | प्रदीप पुरमाल | [illegible] |
| (19) | रवीन्द्र गोस्वामी | Ravi |

ह0/–
ग्राम प्रधान

(छत्रपति बेलवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–23.2

66

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,....हल्द्वानी.......

उपखण्ड......हल्द्वानी...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.46 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.46 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हल्द्वानी) की दिनांक 7–11–2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हरबीर सिंह, उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री हरबीर सिंह उपजिलाधिकारी हल्द्वानी (अध्यक्ष)
2– श्री नवीन चन्द्र पन्त उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला पूर्वी तराई वनप्रभाग हल्द्वानी (सदस्य)
3– श्री श्री के0आर0 टम्टा सहायक समाज कल्याण अधिकारी हल्द्वानी (सदस्य/सचिव)
4– श्रीमती निर्मला जोशी बी0डी0ओ0 क्षेत्र हल्द्वानी (सदस्य)

Sub Divisional Magistrate HALDWANI (Nainital) Uttarakhand.

के0 टम्टा सहायक समाज कल्याण अधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी (गौला) तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पंकज बेजेठा सदस्य क्षेत्र पंचायत 01–लाखन मण्डी, विकासखण्ड हल्द्वानी

खण्ड विकास अधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूँगी– हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.46 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, हलद्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(67)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड —— हल्द्वानी —————— परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.46 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
जनपद नैनीताल

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
जनपद नैनीताल

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

प्रपत्र–23.3

68

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 120 मीटर स्पान के 0.46 है0 आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 0.46 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति हल्द्वानी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.

जिलाधिकारी
नैनीताल.

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑं के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल. के अन्तर्गत प्रस्तावित .... जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑं के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु 0.46 है0..वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
जिलाधिकारी

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.

जिलाधिकारी
नैनीताल.

70

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM – 1
(for Linear projects)
Office of the District Collector – Nainital

No. 457

Dated .28-12-2014

# TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter no 11-9/98 & FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dates 5th February 2013 whereing MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P .W.D. Haldwani. (name of user agency) for Construction of Janpad Nainital ke Vidhan Sabha Khastra Lalkuan ke antargat Ramnagar-Kaladhungi-Haldwani-Kathgodam-Chorgalia-Sitarganj-Vijit Rajya Marg ke Km 80 Surya Nala me 100 mtr. Span ke R.C.C. Pre-Stared Concrete Satu wa Pauch Marg ka Nirman (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Khera, Nawarkhera, Devla talla Pajaya, Devla Malla, Devla Talla Simlar, Kuwarpur, Lakhanmandi, Malla Pachaunia, Tall Pachaunia, Nayagaon Katan, Inderpur, Gangapur, Ummadpur, Jaipur Kholia, Sitapur, Madanpur, Devpur Devka, Basantpur, Ratanpur Negi, Udaypur Rakwal, Bhushapur, Dharampur, Devpur dani, Trilokpur dani, Haripur Tatola, Baskhera Ishwaridutt, Shelabhawar Trilok Singh, Shelabhawar Mehar Singh, Vijaypur, Jagatpur villages in Haldwani tehsil.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .1...to annexure...47.
b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Trible Gropus and prep-agricultural communities.

Encl : As above.

Signature

(Sri Deepak Rawat )
**District Collector, Nainital**
जिलाधिकारी
नैनीताल.

(71)

प्रारूप – 30.1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
# DISTRICT – NAINITAL (U.K.)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights ) act (FRA), 2006.**

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated 7.11.14...at time...11.30......at Surya Nala........in which application claiming rights in 4600 Sq. Meter /area measuring 0.46 hect. for the construction of Construction of Janpad Nainital ke Vidhan Sabha Khastra Lalkuan ke antargat Ramnagar-Kaladhungi-Haldwani-Kathgodam-Chorgalia-Sitarganj-Vijit Rajya Marg ke Km 80 Surya Nala me 100 mtr. Span ke R.C.C. Pre-Stared Concrete Satu wa Pauch Marg ka Nirman forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - ...Nainital

Dated ...28-12-2014

Deputy Commissioner cum chairman

**District Level Committee**

जिलाधिकारी
नैनीताल.